# जिलाधिकारी कार्यालय,पटना।

## (गोपनीय शाखा)

### आ दे श

स्वास्थ्य विभाग, बिहार द्वारा दैनिक समाचार–पत्रों के माध्यम से डेंगू एवं चिकनगुनिया के संबंध में आवश्यक सूचना प्रकाशित कराया गया है। इसमें उल्लिखित है कि डेंगू एवं चिकनगुनिया की बीमारी संक्रमित एडिस मच्छर के काटने से होती है। यह मच्छर दिन में काटता है एवं स्थिर साफ पानी मे पनपता है।

स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के डेंगू एवं चिकनगुनिया से बचाव एवं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि विद्यालय अवधि में सभी छात्र–छात्रायें पूरे शरीर को ढ़ंकने वाले कपड़े/ड्रेस का उपयोग करें।

उक्त परिप्रेक्ष्य में पटना जिला के सभी विद्यालयों के प्राचार्य/प्रबंधन को निदेशित है कि डेंगू एवं चिकनगुनिया से बचाव हेतु वर्तमान में निर्धारित स्कूल ड्रेस हाफ शर्ट एवं हाफ पैन्ट की बाध्यता को तत्काल समाप्त करें।

उक्त निदेश के अनुपालन हेतु **दिनांक 14.10.2019** से बच्चों को पूरे शरीर को ढ़ंकने वाले स्कूल ड्रेस अर्थात् फुल शर्ट एवं फुल पैन्ट पहनाकर विद्यालय भेजने हेतु सभी अभिभावकों को संसूचित करें। इसके अतिरिक्त यह भी निदेशित हे कि स्कूल परिसर के अन्दर एवं बाहर के जगहों को साफ–सुथरा रखें एवं जमा पानी तथा गंदगी पर कीटनाशक दवाओं का नियमित रूप से छिड़काव करायें।

जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं सभी अनुमण्डल पदाधिकारियों को निदेशित है कि वे उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।

यह आदेश दिनांक 14.10.2019 से प्रभावी होगा।

Sd/-
जिलाधिकारी, पटना।

ज्ञापांक 11477 /गो0, पटना, दिनांक - 12-10-2019

प्रतिलिपि :– पटना जिला के सभी विद्यालयों के प्राचार्य/प्रबंधन को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना जिला/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/10/19

जिलाधिकारी, पटना।